फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मुकदमा दावा मोतीलाल बनाम तहसीलदार

मुकदमा नम्बर 70 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर वादपत्र पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 10.03.2021 को पेश हो।	
10/3/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी ने वादी मोतीलाल व गवाह श्रीराम सैनी का शपथ पत्र पेश किया। बहस वकील वादी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो।	Moti Lal
15/03/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। रिपोर्ट प्रतिवादी प्राप्त हो चुकी हैं। बहस पूर्व सुनी जा चुकी दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी के नाम राजस्व ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा जोहडी तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमि हैं। वादी का सही नाम मोतीलाल पुत्र सुरजा हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ओमप्रकाश पुत्र सुरजा दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, पिछडी जाति प्रमाण, ग्राम पंचायत डेहरा जोहडी के प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी का सही नाम मोतीलाल पुत्र सुरजा है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य गवाह श्रीराम सैनी पुत्र बालूराम सैनी एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bre
Date: 2021.03.29 17:58:0
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, बतौर साक्ष्य गवाह श्रीराम सैनी पुत्र बालूराम सैनी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र एवं रिपोर्ट प्रतिवादी का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र सुरजा अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम मोतीलाल पुत्र सुरजा हैं की पुष्टि राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, पिछडी जाति प्रमाण, ग्राम पंचायत डेहरा जोहडी के प्रमाण पत्र की प्रतियां, बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों एवं रिपोर्ट प्रतिवादी से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों एवं रिपोर्ट प्रतिवादी के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा जोहडी तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 137 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **ओमप्रकाश पुत्र सुरजा** के स्थान पर **मोतीलाल पुत्र सुरजा** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.09.29 17:38:09 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना